न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 34/2019 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2019/00315

अपीलांटगण :–	बनाम	रेस्पोडेन्टगण :–
बाबुलाल पुत्र स्व. श्री नैनाराम जाति जांगिड़, निवासी गुन्दोज तहसील व जिला पाली (राज.)		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पाली तहसील व जिला पाली 2. मृतक मांगीलाल पुत्र स्व. नैना के विधिक वारिसान 2.1 श्रीमती मथरा देवी बेवा मृतक मांगीलाल 2.2 प्रकाश कुमार पुत्र मृतक मांगीलाल 2.3 दिनेश कुमार पुत्र मृतक मांगीलाल समस्त जातिगण जांगीड निवासी गण गुन्दोज तहसील व जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज श्रीनाथ उपस्थित
रेस्पोडेंट की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 18/3/21

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 क तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 406 दिनांक 28.05.1993 के विरूद्ध पेश की है जो म्याद बाहर होने से अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परीसीमा अधिनियम के मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वक्त बहस अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2/1 से 2/3 के पिता मांगीलाल की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 2157 रकबा 0.1000 किस्म गैर मुमकिन बैरा, खसरा नम्बर 2170 रकबा 0.0200 किस्म गैर मुमकिन बैरा, खसरा नम्बर 2177 रकबा 40.0400 किस्म चाही सोयम ग्राम गुन्दोज चक ।। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2/1 से 2/3 के पिता स्व. मांगीलाल के पिता स्व. नैना के नाम दर्ज थी अपीलांट एवं स्व. मांगीलाल के पिता नैना की मृत्यु होने के बाद दिनाँक 28.05.2993 के तहसीलदार पाली द्वारा फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत किया जिसमें अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2/1 से 2/3 के पिता स्व. मांगीलाल के पिता नैना की जगह दादा नवला के नाम अपीलाधीन फौतेदगी नामान्तरकरण में इन्द्राज किया गया है अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2/1 से 2/3 के पिता स्व. मांगीलाल के पिता जी का नाम नैनाराम पुत्र नवलाजी था। जैर अपील नामान्तरकरण में इन्द्राज बाबूलाल, स्व. मांगीलाल पुत्रगण नैना की जगह बाबुलाल, स्व. मांगीलाल पुत्रगण नवला का इन्द्राज किया गया है जो गलत है बाबुलाल एवं स्वर्गीय मांगीलाल दोनों नवला के पुत्र नहीं होकर नैना के पुत्र थे नवला इनके दादा का नाम था। दादा का नाम पिता की जगह गलत इन्द्राज कर दिया गया इससे स्पष्ट है कि भू अभिलेख निरीक्षक ने बिना जांच किए हस्ताक्षर कर दिए एवं तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि जैर अपील नामान्तरकरण बिना जांच किए किया गया है जबकि ग्राम गुन्दोज में ही अपीलांट एवं रेस्पोडेंट 2/1 से 2/3 के पिता स्व. मांगीलाल के पिता स्व. नैना की अन्य खातेदारी भूमी जिसके खसरा नम्बर 1383, 1705, का नामान्तरकरण संख्या 236 दिनांक 27.12.1988 को नायब तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत किया गया उसमें अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2/1 से 2/3 के पिता का स्व. मांगीलाल के पिता का नाम नैना सही दर्ज किया गया है अपील के साथ प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न है। अपीलांट द्वारा प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत ऋण लेने हेतु रेकर्ड की जमाबन्दी दिनांक 14.10.2019 पटवार हल्का गून्दोज से लेने पर इन तथ्यों का पता चला तो अपील पेश की गई। अपील जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमावे एवं जैर अपील नामान्तरकरण को निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेंट संख्या 2/1 से 2/3 एवं अपीलांट के पिता का सही नाम नामान्तरकरण में इन्द्राज कराने [illegible] वे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:26:35 IST
Reason: SelfAttested

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन [illegible] जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 406 दिनांक 28.05.1993 में स्वीकृत [illegible] 25.10.2019 को की गई है। अपील अपीलांट स्पष्ट रूप से म्याद बाहर होने से खारिज [illegible] जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया [illegible] अपील में अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2/1 से 2/3 के [illegible] स्व. मांगीलाल के पि[illegible]वल्दियत का गलत इन्द्राज हो गया है जिसमें अपीलांट के हक अधिकार एवं सुविधाए प्रभावित होने से इस अपील में परिसीमा अवधि अधिक हो गई उसे क्षम्य मानकर अपील अपीलांट अन्दर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है।

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

क्रमशः......................2

पत्रावली संलग्न जैर अपील नामान्तरकरण एवं अन्य नामान्तरकरण जिनके नामान्तरकरण संख्या 406 दिनांक 28.05.1993 एवं 236 दिनांक 27.12.1988 के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनों नामान्तरकरण नैना पुत्र नवला के फौत होने से उनके वारिसान के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हेतु स्वीकृत किए हुए है। जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 406 में नैना पुत्र नवला के वारिसान का नाम मांगीलाल, बाबूलाल पिसरान नवला दर्ज किया गया है जबकि नवला नैना के पिता का नाम है अपीलार्थी एवं स्व. मांगीलाल के दादा का नाम है जो गलत इन्द्राज कर दिया है जबकि दूसरे नामान्तरकरण संख्या 236 की प्रमाणित फोटोप्रति में मांगीलाल, बाबूलाल पिसरान नैना दर्ज किया गया है इस प्रकार तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 406 दिनांक 28.05.1993 में अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट संख्या 2/1 से 2/3 के पिता मांगीलाल के पिता का नाम नैना की जगह नवला लिखा गया है जो इससे स्पष्ट है कि जैर अपील नामान्तरकरण स्वीकृती के पूर्व पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच नहीं की गई तथा बाबुलाल, स्व. मांगीलाल की वल्दियत में पिता के नाम के स्थान पर दादा के नाम का अंकन कर दिया गया है तथा तहसीलदार द्वारा स्वीकृत कर दिया। जिसे यथावत रखा जाना विधिसम्मत नहीं है।

परिणामस्वरूप जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 406 दिनांक 28.05.1993 निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार पाली को इस निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि बाबूलाल एवं रेस्पोडेंट संख्या 2/1 से 2/3 के पिता स्व. मांगीलाल के पिता नाम नवला अथवा नैना होने बाबत जाँच की जाकर सही नाम इन्द्राज करते हुए नामान्तरकरण स्वीकृती की कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनाँक 18/3/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:26:35 IST
Reason: SelfAttested